

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड ()

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 1972/फाल्गुन 4, 1893

No. 63] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 1972/PHALGUNA 4, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February 1972

G.S.R. 88(E).—The following Order made by President on 20th February, 1972, is published for general information:—

In pursuance of the powers conferred by section 48 of the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (10 of 1971), the President hereby makes the following Order:—

THE NORTH EASTERN AREAS (REORGANISATION) (GOVERNORS' ALLOWANCES AND PRIVILEGES) PROVISIONAL ORDER, 1972

1. (1) This Order may be called the North-Eastern Area (Reorganisation) (Governors' Allowances and Privileges) Provisional Order, 1972.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st January, 1972 and shall cease to have effect on the 31st day of March, 1972.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. In this Order:—

(a) "Governor" means the Governor of the State of Manipur or Tripura;

(b) "maintenance" in relation to official residence includes the payment of local rates and taxes and the provision of electricity, gas and water and in relation to motor cars, includes the pay and allowances of chauffeurs and the provision of oil and petrol;

(c) "official railway saloons, river craft and aircraft" in relation to the Governor mean such railway saloons, river craft and aircraft, if any, as may be provided for his use;

(d) "official residence" in relation to the Governor means the official residence specified in column (2) of the First Schedule to this Order and includes such other residence or residences as may be used as the official residence or residences of the Governor and also includes the staff quarters and other buildings appurtenant thereto and the gardens thereof.

4. There shall also be paid to the Governor a sum to be fixed from time to time by the President and to be payable subject to such conditions as may be determined by him, to be spent on the purchase of suitable motor cars for the use of the Governor, and the actual expenses on the freight and insurance in transporting those motor cars to the State.

5. The Governor shall be entitled, without payment of rent or hire, to the use of his official residence and official railway saloons and river craft and aircraft and of the motor cars provided for his use, and no charge shall fall on him personally in respect of the maintenance thereof.

6. There shall be paid from time to time to the Governor an allowance equal to his actual expenses in renewing the furnishings of his official residence, so, however, that the total amount paid shall not exceed the maximum specified in column (3) of the First Schedule to this Order.

7. In order that the Governor may be enabled to discharge conveniently and with dignity the duties of his office, there shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of Manipur or Tripura, as the case may be,—

(a) for each of the purposes specified in the Second Schedule to this Order such amount, not exceeding the maximum amount specified in the appropriate column of that Schedule, as may be required by the Governor;

(b) for the maintenance, improvement, renewal or replacement of the Governor's official residence an amount not exceeding the amount specified in the Third Schedule to this Order; and

(c) such amount for expenditure on official railway saloons as may be determined by special order of the President;

Provided that

(1) the Governor may, with the approval of the President, reappropriate, whenever necessary, from one sub-head to another sub-head specified in the said Second Schedule, but so as not to exceed the maximum amount specified in column (8) thereof;

(2) if dearness or other allowance admissible at the commencement of this Order be merged in the pay or increased or reduced at any time, the maximum amount specified against any of the appropriate sub-heads of the said Second Schedule shall be deemed to have been increased or reduced accordingly;

(3) no expenditure shall be incurred on the maintenance, improvement, renewal or replacement of official residence in excess of the amounts specified in the said Third Schedule except in pursuance of an order made by the President in this behalf.

8. No customs duties shall be levied on the following articles if imported or purchased out of bond by the Governor on appointment or during his tenure of office,—

(a) articles for the personal use, wear or consumption of the Governor or any member of his family;

(b) food, drink and tobacco for consumption by members of the Governor's household or by his guests, whether official or not;

(c) articles for the furnishing of the official residence of the Governor;

(d) motor cars provided for the Governor's use.

THE FIRST SCHEDULE

[See paragraphs 3(d) and (6)]

State	Official Residence	Maximum allowance to the Governor for renewal of furnishings
(1)	(2)	(3)
Manipur	The Government House at Imphal	Rs. 2,500
Tripura	The Government House at Agartala	Rs. 2,500

THE SECOND SCHEDULE

(See paragraph 7)

The amount allotted provisionally for the Governors of Manipur and Tripura

State	Sumptuary allowance	Staff and Household					Total
		Comptroller of the Household ADC and his establishment	Entertainment allowance	Maintenance and repairs of furnishings of official residences	Contract allowance i.e. an allowance for miscellaneous expenses, including maintenance of motor cars	Tour expenses	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Manipur	1,200	14,000	200	1,000	2,500	20,000	38,900
Tripura	1,200	17,000	200	1,000	2,500	26,000	47,900

THE THIRD SCHEDULE

(See paragraph 7)

Expenditure in respect of official residence of Governors—Maintenance and repairs

State	Improvement	Gardens	Electricity	Water	Taxes	Repairs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Manipur			Rs. 5,000			
Tripura			Rs. 5,000			

V. V. GIRI,
President.

[No. 2/2/72-Pub. I.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह सभालय

अधिवृत्ता

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1972

सा० का० वि० 88 (अ०)—राष्ट्रपति द्वारा 20 फरवरी, 1972 को किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है —

राष्ट्रपति, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 10) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करने है —

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1972।

1. (1) इस आदेश का नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1972 होगा।
- (2) यह 21 जनवरी, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा और 31 मार्च, 1972 को इसका प्रभावी होना समाप्त हो जाएगा।
2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वाचन के लिए उन्मी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार यह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है।
3. इस आदेश में,—
 - (क) “राज्यपाल” में मणिपुर या त्रिपुरा राज्य का राज्यपाल अभिप्रेत है,
 - (ख) शासकीय निवास के सम्बन्ध में, “अनुरक्षण” के अन्तर्गत स्थानीय रेटो और करो का सदाय तथा विद्युत, गम और जल का उपबन्ध है और मोटर कारों के संबंध में शेफरो के वेतन और भत्ते तथा तेल और पेट्रोल का उपबन्ध आते हैं;
 - (ग) राज्यपाल के सबंध में “शासकीय रेलवे सेलूलो, नदी यान और वायुयान” से ऐसे रेलवे सेलूल, नदी-यान और वायुयान, यदि कोई हो, अभिप्रेत है जो उसके उपयोग के लिए दिए जाएं,
 - (घ) राज्यपाल के सबंध में “शासकीय निवास” से इस आदेश की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट शासकीय निवास अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसे अन्य निवास भी है या हैं, जो राज्यपाल के शासकीय निवास के रूप में प्रयुक्त किया जाय या किए जाएं और इसके अन्तर्गत कर्मचारियों के क्वार्टर और उनसे अनुलग्न अन्य भवन और उनके उद्यान भी हैं।

4. राज्यपाल को, राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियत की जाने वाला, कोई राशि भी सदाय की जाएगी और वह एसी शर्तों के अधीन रहने हुए, जो उनके द्वारा आधारित की जाएं, राज्यपाल के उपयोग के लिए उपयुक्त मोटर कारों की खरीद पर खर्च करने और उन मोटर कारों को अपने राज्य में लाने में दुलाई तथा बीसे पर वास्तविक व्यय के लिए सदेय होगी।

5. राज्यपाल, भाटक या भाडे के मंदाय के बिना, अपने शासकीय निवास और शासकीय रेलवे मेलनों और नदी-यान और वायुयान और उसके उपयोग के लिए दी गई मोटर कारों के उपयोग करने का हकदार होगा और उनके अनुक्षण के बारे में उस पर वैयक्तिक रूप से कोई प्रभार नहीं पड़ेगा ।

6. राज्यपाल को समय-समय पर अपने शासकीय निवास की सुसज्जा का नवाकरण करने में अपने वास्तविक व्यय के बराबर भत्ता संदत्त किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार कि संदत्त कुल रकम इस आदेश की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम से अधिक न हो ।

7. इसलिए कि राज्यपाल अपने पद के कर्तव्यों का सुविधानुसार और गरिमा से निर्वहन करने में समर्थ हो सके, यथास्थिति, मणिपुर या त्रिपुरा राज्य की संचित निधि पर निम्नलिखित भारित होगा और उसमें से संदत्त किया जाएगा,

(क) इस आदेश की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से प्रत्येक के लिए उस अनुसूची के समुचित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम से अनधिक उतनी रकम, जितनी राज्यपाल द्वारा अपेक्षित हो ;

(ख) राज्यपाल के शासकीय निवास के अनुक्षण, सुधार, नवीकरण या पुनःस्थापन के लिए इस आदेश की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक रकम ; और

(ग) शासकीय रेलवे सेतुओं पर व्यय के लिए उतनी रकम जितनी राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाए ;

परन्तु—

(1) राज्यपाल, राष्ट्रपति के अनुमोदन से जब कभी आवश्यक हो, उक्त द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में पुनर्वित्तियोजन कर सकेगा, किन्तु इस प्रकार कि वह रकम उक्त स्तम्भ (8) में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम से अधिक न हो ;

(2) इस आदेश के प्रारम्भ पर अनुसूच्य मंहगाई या अन्य भत्ता, किसी समय वेतन में विलयित कर दिया जाए या बढ़ा या घटा दिया जाए, तो उक्त द्वितीय अनुसूची के समुचित उपशीर्षों में से किसी के सामने विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम तदनुसार बढ़ाई या घटाई गई समझी जाएगी ;

(3) शासकीय निवास के अनुक्षण, सुधार, नवीकरण या पुनःस्थापन पर कोई भी व्यय इस निमित्त राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण के बिना, उक्त तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकमों के आधिकार में उपगत नहीं किया जाएगा ।

8. निम्नलिखित वस्तुओं पर यदि उन्हें राज्यपाल द्वारा, नियुक्ति पर या अपनी पदावधि के दौरान, आयात किया जाए या किसी बंधन के अधीन क्रय किया जाए, कोई सीमा-शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा ;

(क) राज्यपाल या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के वैयक्तिक उपयोग, पहनावे, या उपभोगकी वस्तुएं ;

(ख) राज्यपाल के घर के सदस्यों या उसके अतिथियों, चाहे शामकीय हों या नहीं, के उपभोग के लिए खाद्य पेय और नम्बाकू ;

(ग) राज्यपाल के शासकीय निवास को सुसज्जित करने के लिए वस्तुएं ;

(घ) राज्यपाल के उपयोग के लिए दी गई मोटर कारें ।

प्रथम अनुसूची

[पैग 3 (घ) और 6 देखिए]

राज्य	शासकीय निवास	सुसज्जा के नवीकरण के लिए राज्यपाल को अधिकतम भत्ता
(1)	(2)	(3)
मणिपुर . . .	इम्फाल का सरकारी गृह	2,500 रु०
त्रिपुरा . . .	अगरतला का सरकारी गृह	2,500 रु०

द्वितीय अनुसूची

(पैग 7 देखिए)

मणिपुर और त्रिपुरा के राज्यपालों के लिए अनुतिम रूप से आवंटित रकम

राज्य	रम्पवुअरी कर्मचारिबुद और गृह सवधी भत्ता	राजभवन सत्कार प्रबंधक एडी सी और उसका स्थापन	शासकीय अर्थत निवासों की सुसज्जा व्ययों का अनु- रक्षण और जिसमें सम्मत मोटर कारों का अनु- रक्षण सम्मिलित है	सहाय भत्ता	पर्यटन व्यय	जोड़	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मणिपुर . . .	1,200	14,000	200	1,000	2,500	20,000	38,900
त्रिपुरा . . .	1,200	17,000	200	1,000	2,500	26,000	47,900

तृतीय अनुसूची

(पैरा 7 देखिए)

राज्यपात्रों के शासकीय निवास के बारे में व्यय—अनुरक्षण और मरम्मत

राज्य	सुधार	उद्यान	बिजली	पानी	कर	मरम्मत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मणिपुर . . .	-----	-----	5,000 रु०	-----	-----	-----
त्रिपुरा . . .	-----	-----	5,000 रु०	-----	-----	-----

ब० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[संख्या 2/2/72-पब्लिक 1]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

